

To

The Joint Secretary,  
Govt. of U.P., Request-90  
Appointment Section-4

Enclosure

No. <sup>105</sup>18464 / IV-2561-Admin. (A) Dated 17-12-03

Subject: - Regarding reimbursement of medical  
expenses amounting to Rs. 13,060/-  
of Sri Kali Charan, - II, Addl. Chief  
Judicial-Magistrate, Muzaffernagar.

Sir,  
With reference to your endorsement  
No. 696/XV-6/2003 dated <sup>del 20/12/03</sup> on the above  
subject, I am directed to ~~submit~~  
Orders dated send herewith original ~~papers~~ cash

D.R. (M)

memo, bill vouchers, essentiality  
certificate, calculation memo, list  
of medicine, reference letter and discharge  
slip duly countersigned and verified  
by Add. Director, Medical Health and  
Family Welfare, Bareilly Region,  
Bareilly, and copy of letter No. A. No. /  
10-12-03  
30 Addl. Chief P. S. / 03-04/40-1067-139 dated 10.7.03  
of Add. Director, Medical Health  
and family welfare, Bareilly Region,  
regarding medical treatment  
of Sri Kali Charan, Addl. Chief  
Judicial-Magistrate, Muzaffernagar

As proposed  
recept. shown  
AR  
11/12/03

P. T. O.

and to request you kindly  
to obtain necessary orders  
from the Court. and  
communicate to this Court  
at an early date for taking  
further necessary action in  
this matter.

encl:-

As above

Yours faithfully  
Zouvaslava

Deputy Registrar

106

No. 18465 /IV-2561-Adm (A) dated - 17-12-03

copy forwarded to the  
District-Judge, Muzaffernagar, with  
reference to his endorsement No.  
696 /XV-6/2003 dated 29/12/03  
for information and  
communication to the officer concerned.

By Order of the Court  
Zouvaslava  
Deputy Registrar

7/8/03

Register No. 12343  
File No. IV/2561  
Serial No. 98

6606  
24/8/03  
26

प्रेषक,

काली चरण, II  
अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, द्वितीय,  
मुजफ्फरनगर ।

11/8/03

25-8-03

सेवा में,

निबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इ ला हा बा द ।

द्वारा: श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
मुजफ्फरनगर ।

Request-90

विषय: - चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माननीय महोदय निवेदन है कि दिनांक 11.3.2003 के मेरे दाहिने हाथ में अज्ञात बदमाशों द्वारा, मेरे द्वारा चेन खींचने का विरोध करने पर गोली मार दी गयी, जिसका मैंने इलाज शील अस्पताल, बरेली में कराया ।

मैंने चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावा अपर निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया है।

अतः उनके पत्र सहित मेरा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करते हुए मुझे चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें । इस पत्र के साथ अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, बरेली का संस्तुति पत्र, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा व वाउचर्स आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित किया जा रहा है ।

स-सम्मान ।

संलग्नक: -उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

काली चरण, II  
अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, द्वितीय,  
मुजफ्फरनगर ।

दि 07 जूलाई, 2003.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर ।

सं०: 696 / XV-6/2003

दिनांक: 29/7/03

अनुसारित  
[Signature]

जनपद न्यायाधीश,  
मुजफ्फरनगर ।  
दिनांक: 29/7/03  
DISTRICT JUDGE  
MUZAFFARNAGAR

[Signature]

3482  
S.O. Adm. M/A

D.R.(M)  
06-8-2003

9  
D.R.(M)

6 AUG 2003

प्रेषक,

अपर निदेशक,  
षिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
बरेली मंडल बरेली ।

सेवा में,

निबन्धाक,  
माओ उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

Request-90

पत्रांक-

ओ निओ/षिकीतिओ/०३-०४ -

दिनांक- 18-7-०३

विषय-

श्री कालीचरन द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं की  
षिकित्सा प्रतिमूर्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अरोक्त विषयक श्री कालीचरन द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट बदायूं के षिकित्सा प्रतिमूर्ति बिल/वाउर्स का तकनीकी परीक्षण  
किया गया । परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री कालीचरन मल गार्ड इंबरी  
आन राइट अपर आर्म से पीड़ित थे तथा उनका उपचार 11-3-०३ से 1:०३:०३  
तक अन्तः रोगी के स्र में निजी षिकित्सालय शरीर हास्पिटल में हुआ ।

प्रमुखा सियव, षिकित्सा स्वास्थ्य उओओ शासन के शासनादेश  
सं० 2428/5-79-97-294 दिनांक 23-7-97 एवं सर्वोक्त शासनादेश सं०  
1135/साप-6-01-294/96 दिनांक 27-6-01 में दिये गये प्राविधानों के  
अन्तर्गत श्री कालीचरन के षिकित्सा उपचार पर हुए व्यय के बिल/वाउर्स  
के तकनीकी परीक्षणोपरान्त र० 13,060=00 र० तेरह हजार साठ मात्र  
की धनराशि प्रतिमूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित की जाती है । सम्बन्धित  
दफ्ते के बिल/वाउर्स अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष में इस पत्र के साथ संलग्न  
कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ।

देय धनराशि- 13,060=00  
अदेय धनराशि 19,171=00

भावदीय,

संलग्नक- अरोक्तानुसार ।

समओ पीओ गुप्ता ।  
अपर निदेशक,  
बरेली मंडल बरेली ।

1392

पत्रांक-

ओ निओ/षिकीतिओ/०३-०४/५०-100

दिनांक- 18-7-०३

प्रतिनिधि द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं को  
सूचनाई प्रेषित ।

समओ पीओ गुप्ता ।  
अपर निदेशक,  
बरेली मंडल बरेली ।